न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

मुन 46/2024 — दायरा दिनाक:– 3/3/24

हरीराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
2. जेठी पत्नि धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
3. रैवन्ती पत्नि धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
4. तुलछाराम पुत्र धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
5. दीपाराम पुत्र धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रामनिवास पुत्र धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
7. सुखाराम पुत्र धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
8. कमला पुत्री धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
9. पुनी पुत्री धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
10. रामी पुत्री धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
11. सम्पू पुत्री धनाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
12. बुधा पुत्र फुसा जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
13. मेघा पुत्र फुसा जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
14. दाना पुत्र फुसा जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
15. रूघा पुत्र फुसा जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
16. भवरलाल पुत्र भीयाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
17. राजुराम पुत्र भीयाराम जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
18. सुखाराम पुत्र भीयाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
19. हडमानाराम पुत्र भीयाराम जाति नायक निवासी बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
20. पाना पुत्री भींयाराम जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
21. मुनी पुत्री भींयाराम जाति नायक निवासी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर जिला चूरू
22. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा सुजानगढ जिला चूरू
23. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि का विधिवत रूप से विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

उपस्थित :— 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट— वकील वादी
2. पेरोकार राज

—: निर्णय :—

दिनांक :—18.08.2021

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 343 तीन सौ तियालीस तादादी 6.4750 छः दशमलव चार हजार सात सौ पचास हेक्टेयर वाके रोही बैनाथा जोगलिया व खेत खसरा संख्या 54 चोपन तादादी 4.6412 चार दशमलव छः हजार चार सौ बारह हेक्टेयर, खसरा संख्या 55 पचपन तादादी 1.9476 एक दशमलव नौ हजार चार सौ छिहतर हेक्टेयर, खसरा संख्या 57 सतावन तादादी 4.9574 चार दशमलव नौ हजार पांच सौ चौहतर हेक्टेयर, खसरा संख्या 58 अठावन तादादी 6.4244 छः दशमलव चार हजार दौ सौ चौवालीस हेक्टेयर, खसरा संख्या 69 उनहतर तादादी 4.4769 चार दशमलव चार हजार सात सौ उनहतर हेक्टेयर कुल किता 5 पांच कुल रकबा 22.4475 बाईस दशमलव चार हजार चार सौ पचहतर हेक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा उमजी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि के नाम से पुकारा गया है। वादगत भूमि में वादी का 1/6 एक बटृा छः हिस्सा नियत है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस ने वादगत खेतों का कई वर्षों पहले मौखिक विभाजन किया था। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी की 1/6 एक बटृा छः हिस्सा भूमि सम्पूर्ण खसरा संख्या 57 सतावन तादादी 4.9574 चार दशमलव नौ हजार पांच सौ चौहतर हेक्टेयर भूमि वाके रोही बैनाथा उमजी में आई हुई है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस अपने—अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी ओर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस की भूमि के बीच में पुख्ता सींवे है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस का खान पान, लेन देन सब अलग—अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानीयां हो रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वोह अपने हिस्से पांति की संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक मौखिक विभाजन व कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में अलग अंकित करवाकर लगान का अलग से विभाजन करवाये। गंगा फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 12 ता 21 है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस से दिनांक 10.02.2021 को मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का मौखिक विभाजन के मुताबिक व कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में अलग अलग अंकित करवाये, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस ने साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस ने वादी को ऐलानीया तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस को वर्जित कराये कि वोह वादी के हिस्सा की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करे ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 21 ईक्कीस की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 23 तेइस के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम बैनाथा जोगलिया व बैनाथा उमजी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 बावजुद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में पेरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। वादी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील ने दौराने बहस दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी के वाद को स्वीकार करने का निवेदन किया।

वादी वकील की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जो अभिवचन वादी द्धारा वाद में किए गए है उसका विरोध इस न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्धारा नहीं किया गया है। इस कारण इस वाद में तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी अपने कब्जा काश्त के आधार पर रोही ग्राम बैनाथा उमजी के खसरा संख्या 57 तादादी 4.9574 हेक्टेयर में सें अपनी सम्पूर्ण हिस्सा भूमि का विभाजन चाह रहा है जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि वादगत भूमि में सें वादी की 1/6 हिस्सा भूमि सम्पूर्ण (4.8204 हेक्टेयर) का विभाजन कब्जा काश्त के आधार पर रोही ग्राम बैनाथा उमजी के खसरा संख्या 57 तादादी 4.9574 हेक्टेयर में सें किया जाकर लगान का विभाजन किया जावे। शेष भूमि प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रखी जावे। तदनुसार प्रारम्भिक डिकी जारी हो। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner